क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है। बहस उभयपक्षों की सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का हित निहित है। अतः प्रा. पत्र 1 नियम 10 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को प्रतिवादी सं. (6) के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाता है। वादी अधिवक्ता संशोधित उनवान पेश करें वास्ते जवाब प्रति. (6) हेतु पत्रावली दिनांक 28/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)
	28/5/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी व स्वयं वादी को सायंकाल 6 PM तक बार-बार आवाज लगाने के बावजूद हाजीर अदालत नहीं आए नहीं वादी की ओर से अन्य कोई पैरवी करने हेतु हाजीर अदालत आए। अतः दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner